

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मु.न. 293/18

सरकार

बनाम

श्री: रमेश चन्द
श्री 0 वीरगी जाहिमीना

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट

निर्णय

दिनांक 27/2/18

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण वृत्तान्त अनुसार पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट इस का पेश की गई कि अतिक्रमी श्री रमेश चन्द पुत्र श्री वीरगी जाति मौना निवासी खलीन तहसील महवा ने संवत् 20-74 फसल: रवि / खरीफ में ग्राम खलीन की राजकीय आराजी खसरा नं. 331 रकबा 14.98 किस्म खागाह भूमि से 0.02 रकबा पर अनाधिकृत रूप से निर्माण कब्जा कर अतिचार कर लिया है।

रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्रति बाद तामिल शामिल पत्रावली है।

अतिक्रमी हाजिर हुआ। अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया। अतिक्रमी की ओर से अतिक्रमण करने का कोई ठोस जवाब पेश नहीं किया गया। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित है। जो राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के सेहत दण्डनीय है।

अतः अतिक्रमी को नाजायज रूप से अतिक्रमण करने पर अतिचारित रकबा से बेदखल किया जाना है व भूमि के वार्षिक लगान रुपये 088 का 50 गुना 4450 की शास्ति आरोपित कर दण्डित किया जाता है।

पटवारी व टी.आर.ए. को मांग कायमी एवं वसुली हेतु पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षण को बेदखली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फसल शुमार का जाकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल व तकनीक लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

l
तहसीलदार
तहसीलदार (दौसा)

महवा जिला दौसा

रजिस्टर ग/घ को पेज नं. 27 पर
वर्ष 2017-18 में 4450 की राशि
की जमा 4450
दिनांक 5/2/18 तहसील-महवा